

राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

क्रमांक:-मुसप्र/खुली बिक्री/मानसरोवर/2019/252

दिनांक:- 25/6/19

आदेश

उप आवासन आयुक्त वृत्त-द्वितीय, जयपुर एवं अतिरिक्त मुख्य अभियंता-प्रथम, जयपुर के अधीन मण्डल की मानसरोवर आवासीय योजना में अनिस्तारित आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग एमआईजी-ए, बी एवं एचआईजी के फ्लेटों को मण्डल संचालक की 229.21वीं बैठक दिनांक 27.01.16 के उप बिन्दु 3 में लिये गये निर्णय की पालना एवं अतिरिक्त मुख्य अभियंता-प्रथम, जयपुर द्वारा की गई अनुशंषा के आधार पर 167 फ्लेटों का सशर्त खुली बिक्री योजना में नगद भुगतान पद्धति से निस्तारण करने की स्वीकृति एतद द्वारा प्रदान की जाती है, जिनका विवरण निम्न प्रकार है:-

क्रस	योजना का नाम	आय वर्ग	फ्लेट संख्या		
1	मानसरोवर आवासीय योजना, सेक्टर-3	EWS (01)	31/81/12		
2	मानसरोवर आवासीय योजना, सेक्टर-3	MIG-A (01)	30/52/02		
3	मानसरोवर आवासीय योजना, द्वारका अपार्टमेंट	MIG-B (79)	DWA/A-102, DWA/A-202, DWA/A-303, DWA/A-601, DWA/A-702, DWA/A-802, DWA/A-901, DWA/B-104, DWA/B-403, DWA/B-604, DWA/B-703, DWA/B-803, DWA/B-904, DWA/C-202, DWA/C-303, DWA/C-403, DWA/C-504, DWA/C-604, DWA/C-801, DWA/C-804, DWA/C-904, DWA/D-203, DWA/D-401, DWA/D-501, DWA/D-602, DWA/D-703, DWA/D-903,	DWA/A-103, DWA/A-203, DWA/A-502, DWA/A-602, DWA/A-703, DWA/A-803, DWA/A-903, DWA/B-301, DWA/B-601, DWA/B-701, DWA/B-801, DWA/B-902, DWA/C-102, DWA/C-301, DWA/C-304, DWA/C-501, DWA/C-601, DWA/C-701, DWA/C-802, DWA/C-901, DWA/D-101, DWA/D-302, DWA/D-402, DWA/D-503, DWA/D-603, DWA/D-704,	DWA/A-104, DWA/A-302, DWA/A-504, DWA/A-701, DWA/A-801, DWA/A-804, DWA/B-101, DWA/B-302, DWA/B-603, DWA/B-702, DWA/B-802, DWA/B-903, DWA/C-104, DWA/C-302, DWA/C-401, DWA/C-502, DWA/C-602, DWA/C-702, DWA/C-803, DWA/C-902, DWA/D-201, DWA/D-303, DWA/D-403, DWA/D-601, DWA/D-701, DWA/D-901,
4	मानसरोवर आवासीय योजना, द्वारका अपार्टमेंट	MIG-B (36)	DWA/I-101, DWA/I-104, DWA/I-203,	DWA/I-102, DWA/I-201, DWA/I-204,	DWA/I-103, DWA/I-202, DWA/I-301,

			DWA/I-302, DWA/I-401, DWA/I-404, DWA/I-503, DWA/I-602, DWA/I-701, DWA/I-704, DWA/I-803, DWA/I-902,	DWA/I-303, DWA/I-402, DWA/I-501, DWA/I-504, DWA/I-603, DWA/I-702, DWA/I-801, DWA/I-804, DWA/I-903,	DWA/I-304, DWA/I-403, DWA/I-502, DWA/I-601, DWA/I-604, DWA/I-703, DWA/I-802, DWA/I-901, DWA/I-904
5	मानसरोवर आवासीय योजना, शिवम अपार्टमेंट	MIG-B (01)	70/B-307		
6	मानसरोवर आवासीय योजना, भृगु अपार्टमेंट	MIG-B (29)	12-B-103, 12-B-201, 12-B-202, 12-B-203, 12-B-302, 12-B-30, 312-B-402, 12-B-403, 12-B-503, 12-B-603, 12-B-702, 12-B-703, 12-B-801, 12-B-903, 12-B-1001, 12-B-1002, 12-B-1003, 12-B1-103, 12-B1-303, 12-B1-401, 12-B1-402, 12-B1-403, 12-B1-503, 12-B1-601, 12-B1-701, 12-B1-703, 12-B1-801, 12-B1-803, 12-B1-901		
7	मानसरोवर आवासीय योजना, वी.टी. अपार्टमेंट	HIG (01)	53/A1-902		
8	मानसरोवर आवासीय योजना, द्वारका टिक्स	HIG (19)	DWT/A-102, DWT/A-202, DWT/A-402, DWT/A-503, DWT/A-603, DWT/A-704, DWT/A-904	DWT/A-104, DWT/A-301, DWT/A-403, DWT/A-504, DWT/A-604, DWT/A-801,	DWT/A-201, DWT/A-303, DWT/A-502, DWT/A-602, DWT/A-702, DWT/A-902,
कुल फ्लेटों की संख्या		167			

उप आवासन आयुक्त, वृत्त-द्वितीय, जयपुर एवं अतिरिक्त मुख्य अभियंता-प्रथम, जयपुर द्वारा उल्लेखित सारणी में उपलब्ध फ्लेटों का खुली बिक्री योजना के माध्यम से नकद भुगतान पद्धति में निस्तारण हेतु जारी आदेश क्रमांक मुसप्र/2017/1191 दिनांक 27.03.2017 में निम्न वर्णित शर्तों की पालना सुनिश्चित करेंगे :-

1. फ्लेटों (आवासों) आवंटन हेतु कोई भी पंजीकृत आवेदक लम्बित नहीं है।
2. उक्त फ्लेटों (आवासों) के अलावा स्कीम में कोई भी अन्य फ्लेट खुली बिक्री योजना हेतु रिक्त नहीं है।
3. उक्त फ्लेटों (आवासों) का निस्तारण उचित प्रचार-प्रसार के माध्यम से किया जावे।
4. फ्लेटों (आवासों) का निस्तारण खुली बिक्री योजना के अतिरिक्त किसी अन्य प्रकार से करने पर अधिक आय प्राप्त नहीं हो सकती यह सुनिश्चित कर ही निस्तारण करें।
5. प्रस्तावित फ्लेटों (आवासों) में किसी भी प्रकार का विवाद/न्यायिक विवाद लम्बित नहीं है, एवं विधिवत निरस्त किये गये हैं साथ ही यह भी सुनिश्चित करें कि निस्तारण हेतु प्रस्तावित फ्लेटों बाबत किसी न्यायिक प्राधिकरण के समक्ष इनमें से कोई भी फ्लेट किसी प्रकार से आरक्षित रखने बाबत कोई आश्वासन/शपथ पत्र पेश नहीं किया गया है।

उक्त आदेश को माननीय आवासन आयुक्त महोदय का पैरा संख्या 68/एन पर अनुमोदन प्राप्त है।


 मुख्य सम्पदा प्रबंधक

प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ :-

1. निजी सचिव-अध्यक्ष/आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
2. निजी सचिव-सचिव/वितीय सलाहकार/निदेशक विधि, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
3. मुख्य अभियन्ता-(मु0)/प्रथम, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
4. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता-प्रथम, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
5. अति0 निजी सचिव-मुख्य सम्पदा प्रबंधक, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
6. उप आवासन आयुक्त, रा0आ0म0, वृत्त-द्वितीय, जयपुर।
7. आवासीय अभियन्ता, खण्ड-नवम्, रा0आ0म0, जयपुर।
8. सयुक्त एनालिस्ट (निदेशक), राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि आदेश की प्रति मण्डल की वेबसाईट पर डलवायें व सभी संबंधित उप आवासन आयुक्त/आवासीय अभियन्ता को मेल करें।
9. प्रभारी नागरिक सेवा केन्द्र, (मु0), राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
10. रक्षित पत्रावली।



मुख्य सम्पदा प्रबंधक